

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश 15 सितंबर से होगा लागू, उल्लंघन करने वालों पर होंगी कार्यवाही

कलक्टर श्री वाशिष्ठ ने स्पष्ट किया है कि आदेश लाकाहत एवं जन-सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, वाहन स्वामी अथवा चावल के विरुद्ध माध्यप्रदेश मोटरवाहन नियम, 1994 तथा अन्य प्रचलित वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नगरपालिका एवं विद्युत विभाग
के 1380 प्रकरण सूचीबद्ध किया
गए। लोक अदालत के लिए
खंडीपटों का गठन किया गया था
जिसमें जिला न्यायाधीश कपिल
नारायण भारद्वाज, व्यवहार
न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सचिव जे।
ए. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ
खंड सुश्री प्रगति असादी शामिल
रहे। न्यायालय में लंबित 137
प्रकरणों में से 111 प्रकरणों का
निराकरण किया गया और *
₹ 38 लाख 76 हजार 658
₹ के अवार्ड पारित किए
गए। वहीं प्री-लिटिगेशन के 11
प्रकरणों का भी निराकरण हुआ
इस प्रकार लोक अदालत में कुल
224 प्रकरण का आपसी समझौते
से निराकरण किया गया।

अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों को आवश्यक सुधार कार्य कराने के सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

भाजपा सदर मंडल की कार्यसमिति बैठक संपन्न

होती है। बच्चे जब स्वयं नंदी को सजाते हैं, उसके साथ उत्सव मनाते हैं और उसकी महत्ता को समझते हैं, तो उनके मन में गोवंश के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। तान्हा पोला इसी भाव को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का एक सुंदर माध्यम है। प्रथम वर्ष में ही बच्चों और अभिभावकों की उत्साहपूर्ण सहभागिता ने आयोजन को सफल बनाया। समिति के सदस्यों ने कहा कि भविष्य में इस आयोजन को और व्यापक स्वरूप दिया जाएगा, ताकि पांडुर्णा के बच्चों को अपनी संस्कृति, कृषि परंपराओं और गोवंश के प्रति प्रेम एवं संवेदनशीलता से जोड़ने का यह प्रयास निरंतर आगे बढ़ता रहे।